राचिका रा0- 7/बजट -46-12/2021(खण्ड–2)– 212 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक– 14/08/2025

विषय:– राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद में विमुक्त कुल राशि रु० 5,42,32,00,000/– (रुपये पॉच अरब बियालिस करोड बतीस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद के विरूद्ध समानुपातिक राज्यांश के बकाया भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्वास्थ्य समिति को रु0 2,99,36,66,667– (रुपये दो अरब निन्यानवे करोड छत्तीस लाख छियासठ हजार छ. सौ सडसठ) मात्र उपलब्ध कराये जाने सबंधी व्यय निमित स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्राक 2307 दिनाक–26.06.2025 के द्वारा भारत सरकार से निर्गत आवटनादेश के आलोक मे NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission के केन्द्राश मद मे विमुक्त कुल राशि रु० 5,42,32,00,000/– (रुपये पॉच अरब बियालिस करोड बतीस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद मे एव उक्त राशि के विरूद्ध राज्याश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 3,61,54,66,667/– (रुपये तीन अरब इकसठ करोड चौवन लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र अर्थात् कुल रु0 9,03,86,66,667/– (रुपये नौ अरब तीन करोड छियासी लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र की माग की गई थी, जिसे विभागीय स्वीकृत्यादेश स0- 123(7) दिनाक–30.06.2025 एव आवटनादेश सं0–124(7) दिनाक–30.06.2025 के द्वारा स्वीकृति देते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति को आवटित कर दी गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश के माध्यम से केन्द्राश के समानुपातिक राज्याश मद मे उपबधित राशि से रु० 62,18,00,000/– (रुपये बासठ करोड अठारह लाख) मात्र का आवटन प्रदान किया गया। जिसमे बजटीय उपबध के अभाव के कारण रु0 2,99,36,66,667– (रुपये दो अरब निन्यानवे करोड छत्तीस लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र की राशि उपलब्ध नही कराई जा सकी थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 मे प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से समानुपातिक राज्याश की बकाया राशि रु0 2,99,36,66,667– (रुपये दो अरब निन्यानवे करोड छत्तीस लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र सहायक अनुदान मद मे राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जाना है।

2– उक्त प्रसग मे राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद मे 60:40 के अनुपात मे अनुमोदित केन्द्राश मद मे विमुक्त कुल राशि

रु० 5,42,32,00,000/– (रुपये पॉच अरब बियालिस करोड बतीस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद के विरूद्ध समानुपातिक राज्याश के बकाया भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 मे राज्य स्वास्थ्य समिति को रु0 2,99,36,66,667– (रुपये दो अरब निन्यानवे करोड छतीस लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र उपलब्ध कराये जाने सबधी व्यय निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3-- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसग मे भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से आवटनादेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है –

STATE HEALTH SOCIETY,BIHAR

Details of Fund receivable from Govt of India(2025-26)

Sl No	Letter no			Amount(Central Shares-60%)	Amount(State Shares 40%)	Total
1	Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under national Health Mission					
	G 27017/01/2025-26/NHM-F/FTS-8328765 dt 25.06 25	General	3601-06-101-16-06-31(GBS)	2720800000	1813866667	4534666667
			3601-06-101-16-06-35(GBS)	302300000	201533333	503833333
			Total	3023100000	2015400000	5038500000
		SC	3601-06-789-80-01-31(GBS)	776800000	517866667	1294666667
			3601-06-789-80-01-35(GBS)	86300000	57533333	143833333
			Total	863100000	575400000	1438500000
		ST	3601-06-796-86-01-31(GBS)	62600000	41733333	104333333
			3601-06-796-86-01-35(GBS)	7000000	4666667	11666667
			Total	69600000	46400000	116000000
		PMSSN	3601-06-101-16-08-31	1467400000	978266667	2445666667
			Total(General+Sc+ST+PMSSN)	5423200000	3615466667	9038666667

4-- **राज्यांश मद्** की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्षो अन्तर्गत उपबधित राशि से धटकवार विकलनीय होगा--

(i) माग सख्या–20 के मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष--01--शहरी स्वास्थ्य सेवाए–एलोपैथी, लघु शीर्ष–200--अन्य स्वास्थ्य योजनाए, उपशीर्ष–0309–एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एव राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड–20-2210012000309**, पी0एफ0एम0एस0 कोड--4063, **विषय शीर्ष–31 04**– सहायक अनुदान–वेतन मद मे उपबंधित राशि कुल रु० 5,00,00,00,000/–(रुपये पॉच अरब) मात्र मे से **रु० 2,01,54,00,000/–(रुपये दो अरब एक करोड चौवन लाख) मात्र** की राशि विकलनीय होगी।

(ii) प्रधानमत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN) के तहत राज्याश मद मे माग की गई राशि माग सख्या–20 के मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01 शहरी स्वास्थ्य सेवाए–एलोपैथी, लघु शीर्ष–200--अन्य स्वास्थ्य योजनाए, उपशीर्ष-0309-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एव राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड–20-2210012000309**, पी0एफ0एम0एस0 कोड 4063, **विषय शीर्ष–31 06**– सहायक अनुदान– गैर वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु० 2,95,00,00,000/ -(रुपये दो अरब पचानवे करोड) मात्र मे से **रु० 97,82,66,667/–(रुपये संतानवे करोड बिरासी लाख छियासठ हजार छः सौ सडसठ) मात्र** की राशि विकलनीय होगी।

5– इस राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाए, बिहार, पटना होगे। राज्य स्वास्थ्य समिति वित्त विभाग के पत्र स0–870 दिनाक–25 01 2024 के दिशा निर्देशो के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि का व्यय करेगे।

6– निकासी एव व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक मे करते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के निम्नवत् SNA मे राशि हस्तान्तरित कराना सुलभ करायेगे–

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	आई०एफ०एस० कोड	बैंक का नाम
National Health Mission	State Health Society Bihar	625901143308	ICIC0006259	ICICI Bank, Exhibition Road Branch, Patna

7– राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानो के आलोक मे उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम–341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

8– प्रस्ताव एव प्रारूप मे अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

9– प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या–7/बजट–46–12/2021(खण्ड–2) के पृष्ठ–40 ./टि0 पर प्राप्त है ।

10– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी ।

11– राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

12– एतद्सबधी आवटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

14.8.25

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–7/बजट–46–12/2021(खण्ड–2)– 212 (7) /**स्वा0, पटना, दिनांक**–14/08/2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सचिव, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर सचिव एव मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मत्रालय, रूम न0–331–सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप निदेशक(ए0जे0एस0)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम न0–523–सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । 212(7) 14/08/2025

14.8.25

सरकार के अपर सचिव ।